न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2025/158

निगरानी संख्या 06/2025

तारीख रजू 07.07.2025

बाबूलाल पुत्र दुर्गालाल खटीक निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. केदार प्रसाद उर्फ केदार लाल मीना पुत्र कन्हैयालाल मीना निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर।
2. ग्राम पंचायत मलारना चौड जरिये गैर निगरानीकार सरपंच मलारना चौड।

.......गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री संदीप शर्मा एडवोकेट
वकील अप्रार्थी सं. 1 श्री हिम्मत सिंह राजावत एडवाकेट

निर्णय

दिनांक 27.02.2026

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.1997 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 केदार प्रसाद उर्फ केदार लाल मीना निवासी ग्राम मलारना चौड के नाम जारी आलोच्य पट्टा दिनांक 12.02.1997 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत मलारना चौड के आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु पेश की गई।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली चाही जाने पर ग्राम पंचायत मलारना चौड के पत्र दिनांक 11.08.2025 के द्वारा उक्त पटटा पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना तथा रोकड बही व बैठक रजिस्टर प्राप्त होना किन्तु उनमें उक्त पत्रावली से संबंधित रिकार्ड इन्द्राज नहीं होना बताया गया। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर ही बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] से पूर्व ना तो एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया ना ही उसे सार्वजनिक [illegible] चस्पा किया गया न ही दो मौलिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये है [illegible] कार्यालय में बैठकर [illegible] एवं मिथ्या की गई है। गैर निगरानीकार द्वारा कोई प्रार्थना प[illegible] पटटा दिये जाने बा[illegible]यालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में पेश नहीं किया न ही कोई नक्शा पेश किया इसके बावजूद आपस में साज कर पटटा प्राप्त किया गया है। विवादित स्थल का मौका देखने के लिए ना तो कोई कमेटी बनाई गई ना ही स्थल का मौका देखा गया गैर निगरानीकार ने सरपंच ग्राम पंचायत के साथ मिलकर बिना मौका देखे गलत प्रकार से उक्त पट्टा जारी किया है। पंचायत ने इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गैर निगरानीकार का विवादित स्थल पर उदीर्घ आधिपत्य हो दीर्घ आधिपत्य होने के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद गलत प्रकार से पट्टा जारी किया गया है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कही भी इस आशय के साक्ष्य नहीं ली गई कि नीलामी से ग्राम पंचायत को कोई सही मूल्य मिलना संभव नहीं है ग्राम पंचायत ने स्वयं के हितो के विपरीत मात्र 960/- रूपये मात्र में उक्त पट्टा जारी किया है जबकि नीलामी से लगभग पांच लाख रूपये की आय ग्राम पंचायत को हो सकती थी। तथाकथित दिनांक 12.02.1997 का पट्टा पूर्णतया मिथ्या एवं फर्जी है जोकि धोखाधडी पूर्वक बनाया गया है। उक्त पटटे पर कहीं भी ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों पर ग्राम सचिव व सरपंच के हस्ताक्षर होना आवश्यक है केवल सरपंच को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा अपने दिनांक 20.05.1979 में निगरानीकार व गैर निगरानीकार कि बीच 22 फीट का रास्ता मानकर निर्णय दिया गया है इसके बावजूद दिनांक 12.02.1997 के कन्हैयालाल को दिये गये पट्टे में 22 फीट के आम रास्ते में से 12 फीट भूमि को शामिल कर लिया गया जिससे रास्ता मात्र 10 फीट का रह गया है। आम रास्ते का पट्टा देने का अधिकार ग्रम पचांयत को नहीं है इसलिए भी उक्त पट्टा खारिज होने योग्य है। गैर निगरानीकार द्वारा आम रास्ते पर निर्माण करने हेतु पत्थर बजरी आदि पटकवाने पर निगरानीकार द्वारा पूछने पर गैर निगरानीकार द्वारा स्वयं के नाम से पट्टा लेना जाहिर किया व पट्टा की नकल निगरानीकार को स्वयं दी इस पर निगरानीकार स्वयं ग्राम पंचायत में उक्त दिनांक 12.02.97 के पटटे की नकल लेने गया तो दिनांक 11.06.2025 को ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा अपने लेटर पेड पर दिनांक 12.02.1997 में केदारलाल पुत्र कन्हैयालाल के पट्टे संबंधित रिकार्ड होने से इंकार कर दिया। अतः निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा दिनांक 12.02.1997 को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने वकील निगरानीकर्ता की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत मलारना चौड द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा आदेश दिनांक 12.02.1997 के द्वारा जारी किया गया है। उक्त पटटे के जारी किये जाने में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रकिया अपनाई गई है। अप्रार्थी सं0 1 के मकान के सहारे लगते हुए उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी का [illegible] समय से कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के [illegible] जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस पर नियमानुसार [illegible] किया गया। निर्धारित समय में आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। पटटे पर सरपंच/कोरम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के हस्ताक्षर है। उक्त पटटा विधिसम्मत तरीके से प्राप्त किया गया है। वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उक्त पट्टे की लगभग 28 वर्ष बाद निगरानी पेश की गई है जोकि मियाद बाहर है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जावें।

वकील निगरानीकार ने बहस में प्रत्युत्तर में उक्त निगरानी मियाद बाहर होने के संबंध में तर्क दिया कि अवैधानिक आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसमें मियाद लागू नहीं होती है। उक्त कथनों की पुष्टि हेतु वकील निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की साईटेशन 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 77 इसाक खान बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य, 2016(3)CJ(Civ.)(Raj.) पृष्ठ संख्या 1818 प्रकाश चन्द्र बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा एवं अन्य, 2015(1)DNJ(Raj.)[Raj.] पृष्ठ संख्या 443 लूनी देवी एवं 10 अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य तथा 2015(2)DNJ[Raj.] पृष्ठ संख्या 595 राजू चीता बनाम जिला कलक्टर भीलवाड़ा एवं अन्य पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनने, अधीनस्थ न्यायालय का पत्र दिनांक 11.08.2025 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत उक्त पट्टा आदेश दिनांक 12.02.97 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रोकड बही व बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 12.02.97 को सरपंच की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त पत्रावली से संबंधित रिकार्ड का इन्द्राज नहीं है। अतः फर्जी तरीके से जारी किया गया पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 1 के घर के लगती हुई भूमि जिसे ग्राम पंचायत मलारना चौड के फैसला दिनांक 20.05.1979 के अनुसार निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 की बीच का 22 फीट का रास्ता बताया गया है जिसे ग्राम पंचायत के पट्टा आदेश दिनांक 12.02.1997 में 22 फीट के आम रास्ते में से 12 फीट भूमि को शामिल कर लिया गया जिससे रास्ता मात्र 10 फीट का रह गया है। आम रास्ते का पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर पट्टा आदेश दिनांक 12.02.1997 खारिज होने योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.1997 के द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:56 IST
Reason: SelfAttested